15.12.2025 वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी पक्ष अनु.।

वकील वादी की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया कि विवादित भूमि में वादी का गलत वशारत नाम दर्ज हो रखा है, जबकि वास्तविक नाम वंशीलाल है। अन्य सरकारी दस्तावेजात में भी वादी का वास्तविक नाम वंशीलाल दर्ज हो रखा है, लेकिन विवादित जमाबंदी में अशुद्ध नाम दर्ज होने के कारण वादी को अपूरणीय क्षति हो रही है अतः वाद को वादी स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि में अशुद्ध नाम वशारत के स्थान पर वंशीलाल दुरुस्त किया जावे।

हमने वकील वादी की बहस सुनी और बहस पर गौर किया तथा पत्रावली का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि वादग्रस्त भूमि के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम वशारत

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

67/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पुत्र पोकरजी 1/3 हिस्सा खातेदारी में दर्ज है। जबकि अन्य सरकारी दस्तावेजात, प्रदर्श 03- वोटर कार्ड, प्रदर्श 04- आधार कार्ड, प्रदर्श 05- जन आधार कार्ड, प्रदर्श 06- परिवार राशन कार्ड में वादी का नाम बंशीलाल अंकित है। इसके अलावा वादग्रस्त भूमि के खातेदार प्रतिवादी संख्या 02 व 06 ने भी वादी का वास्तविक नाम बंशीलाल होना स्वीकार किया है। इस प्रकार वादी द्वारा अपने दस्तावेजी साक्ष्य सबूतों से साबित किया है, कि वादग्रस्त भूमि में वादी का अशुद्ध नाम दर्ज है, जो की वादी दुरुस्ती करवाने का हकदार है। लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम जसोल तहसील पचपदरा की खेत खसरा नम्बर 1455/510 के राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में अशुद्ध नाम बंशाराम पुत्र पोकर जी के स्थान पर सही नाम प्रविष्टि बंशीलाल पुत्र पोकरराम की दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। शेष बदस्तूर रहेगा। तदनुसार डिक्री पृथक जारी हो। तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है, की तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावे। पत्रावली फैसल कुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा	

कलक्टर (S.D.O.)